प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 10.05.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 26 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 10 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 10 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6893 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6893 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत जिगिना से कालर द्वारा मोटरसाइकिल के सामने हिरण आ जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.अमर पुत्र गोपाल सा0 मझगावां थाना को0खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- हे0का0 अजीत यादव, का0 लल्लन पासवान, हो0गा0 चा0 राकेश पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 186 वाहनों से 3,08,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 10.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 186 वाहनों से 3,08,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत गैगेस्टर की ₹7.60 लाख की अवैध संपत्ति (कार) जब्त

जनपद संतकबीर नगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 436/2025 धारा 2(b)(1)/3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम से संबंधित अभियुक्त की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया गया है।

अभियुक्त इसरार अहमद पुत्र मसहूर आलम निवासी ग्राम टेमा रहमत थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अवैध धन अर्जित कर एक वाहन क्रय किया गया था। प्रभारी निरीक्षक दुधारा *श्री अरविन्द कुमार शर्मा* द्वारा थाना को0 खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 436/2025 धारा 2(b)(1),3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर अधिनियम की विवेचना सम्पादित की गयी, दौरान विवेचना अभियोग मे नामित अभियुक्त इसरार अहमद पुत्र मसहूर आलम निवासी ग्राम टेमा रहमत थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीर नगर द्वारा अपराध कर अर्जित की गई अवैध सम्पत्ति से 01 अदद कार swift zxi रजि0 नं0 UP51BU8056 कीमती 7,60,000 (सात लाख साठ हजार रूपया) क्रय किया जाना पाये जाने पर उक्त सम्पत्ति की धारा 14(1) गैगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार अवैध सम्पत्ति जब्त किये जाने हेतु रिपोर्ट श्रीमान जिलाधिकारी संतकबीरनगर को प्रेषित किया गया था। जिसके उपरान्त दिनाकं 06.05.2026 को जब्तीकरण हेतु पारित आदेश के अनुपालन मे आज दिनाकं 10.05.2026 को उपजिलाधिकारी खलीलाबाद, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय ,तहसीलदार खलीलाबाद ,नायब तहसीलदार खलीलाबाद तथा प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा जनपद संतकबीर नगर की उपस्थिति मे अभियुक्त इसरार अहमद पुत्र मसहूर आलम निवासी ग्राम टेमा रहमत थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीर नगर द्वारा अपराध कर अर्जित की गई अवैध सम्पत्ति से एक अदद कार swift zxi रजि0 नं0 UP51BU8056 किमती 7,60,000 (सात लाख साठ हजार रूपया) के नियमानुसार मुनादी कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

- जब्त संपत्ति: एक अदद कार (Swift ZXI)
- रजि0नं0: UP 51 BU 8056
- अनुमानित कीमत: ₹7,60,000/- (सात लाख साठ हजार रुपये)

जनपद में संगठित अपराध और अवैध कमाई करने वाले अपराधियों के विरुद्ध इस प्रकार की कठोर दंडात्मक कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।